संख्या-36/2018/1474/46-1-18-1000(20)/2018

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, गोण्डा तथा बलरामपुर ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 अक्टूबर, 2018

विषयः- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-560/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 13-7-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित की धनराशि रू. 274.00 लाख (रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, गोण्डा तथा बलरामपुर के कुल 18 सम्पर्क मार्गों/सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य कराने हेतु संलग्नक तालिका में उनके सम्मुख कालम-8 में अंकित कुल लागत रू. 342.504 (रूपये तीन करोड़ बयालीस लाख पचास हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एवं तालिका के कालम-9 के अनुसार देय राज्यांश की कुल धनराशि रू. 274.00 (रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक तालिका के कालम-10 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में संलग्नक तालिका के स्तम्भ-11 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(7) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2019) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(12) कार्य की विशिष्टयाँ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(14) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(15) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विविरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-811/दस-18, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

संख्या-36/2018/1474(1)/46-1-18-1000(20)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद

3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।

6- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।

7- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।

9- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

10- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।

11- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

12- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।

13- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

14- नियोजन अनुभाग-4/ राज्य योजना आयोग-1/2,

15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,

16- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-36/2018/1474/46-1-18-1000(20)/2018, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक

क्र0	परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	कार्य का प्रकार	लंबाई (कि0मी0)	अनुमानित लागत ला)0रू0)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि ला)0रू0)	वानिकी करण की कुल धनराशि (ला0रू0)	सेन्टेज की कुल धनराशि ला)0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु वानिकी करण सेन्टेज रहित कुल धनराशि (ला0रू0)	निर्माण / पुनर्निर्माण का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहारनपुर	सहारनपुर	1	जड़ौदा जट से रसूलपुर।	सुदृढीकरण	1.000	17.840	14.2720	0.0630	1.5650	12.6440	2009-10
2	सहारनपुर	सहारनपुर	2	जटौल मंझौल मार्ग से जटौल की ओर।	सुदृढीकरण	0.820	14.520	11.6160	0.0510	1.2730	10.2920	2007-08
3	सहारनपुर	सहारनपुर	3	बिड़वी गांव से चीनी मिल की ओर।	सुदृढीकरण	0.500	9.640	7.7120	0.0340	0.8450	6.8330	2007-08
4	सहारनपुर	सहारनपुर	4	नया गांव सम्पर्क मार्ग।	सुदृढीकरण	1.500	26.990	21.5920	0.0950	2.3670	19.1300	2005-06
				जनपद योग		**3.820**	**68.990**	**55.1920**	**0.2430**	**6.0500**	**48.8990**	
5	सहारनपुर	मु0 नगर	1	मन्तौडी मार्ग	सुदृढीकरण	1.365	29.088	23.2700	0.1020	2.5510	20.6170	2000-01
				जनपद योग		**1.365**	**29.088**	**23.2700**	**0.1020**	**2.5510**	**20.6170**	
6	मेरठ	मेरठ	1	भन्डौरा से कोहला मार्ग अवशेष भाग	सुदृढीकरण	0.600	13.090	10.4720	0.0460	1.1480	9.2780	1997-98
7	मेरठ	मेरठ	2	मवाना परीक्षितगढ़ रोड से ढिकौली मार्ग	सुदृढीकरण	0.420	9.110	7.2880	0.0320	0.7990	6.4570	1997-98
8	मेरठ	मेरठ	3	नारंगपुर शिवपुरी रोड से अमरसिंहपुर . मार्ग	सुदृढीकरण	1.300	33.684	26.9470	0.1180	2.9540	23.8750	2005-06
9	मेरठ	मेरठ	4	सरसावा से महलका की ओर मार्ग	सुदृढीकरण	1.000	21.390	17.1120	0.0750	1.8760	15.1610	1999-2000
				जनपद योग		**3.320**	**77.274**	**61.8190**	**0.2710**	**6.7770**	**54.7710**	
10	मुरादाबाद	बिजनौर	1	खानपुर से भोगपुर अवशेष भाग	सुदृढीकरण	0.260	6.393	5.1140	0.0220	0.5610	4.5310	2005 - 06
11	मुरादाबाद	बिजनौर	2	हल्दौरगंज- मार्ग से विसाठ मार्ग अवशेष भाग	सुदृढीकरण	0.600	13.210	10.5680	0.0460	1.1580	9.3640	2005-06
12	मुरादाबाद	बिजनौर	3	भोजपुर से मालन के पुल तक भोजपुर) (बुडगरा मार्ग	सुदृढीकरण	1.800	37.308	29.8460	0.1310	3.2720	26.4430	2009-10
13	मुरादाबाद	बिजनौर	4	मण्डावली से हुकुमतपुर केशो अवशेष भाग	सुदृढीकरण	0.950	17.518	14.0140	0.0610	1.5360	12.4170	1995-96
				जनपद योग		**3.610**	**74.429**	**59.5420**	**0.2600**	**6.5270**	**52.7550**	
14	बरेली	बरेली	1	पचपेड़ा से खुटिया	सुदृढीकरण	1.310	36.490	29.1920	0.1280	3.2000	25.8640	2009-10
				जनपद योग		**1.310**	**36.490**	**29.1920**	**0.1280**	**3.2000**	**25.8640**	
15	बरेली	पीलीभीत	1	कल्यानपुर दियूरी मार्ग से सिरसा सरदहा गांव तक	सुदृढीकरण	0.700	21.400	17.1200	0.0750	1.8770	15.1680	2007-08
				जनपद योग		**0.700**	**21.400**	**17.1200**	**0.0750**	**1.8770**	**15.1680**	
16	लखनऊ	सीतापुर	1	सोन्सरी से मुगलपुर	सुदृढीकरण	0.500	21.483	17.1850	0.0750	1.8840	15.2260	2002-03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				जनपद योग		**0.500**	**21.483**	**17.1850**	**0.0750**	**1.8840**	**15.2260**	
17	देवीपाटन	गोण्डा	1	हारीपुर प्राथमिक स्कूल से बहादीपुर ग्राम सभा भाग-2	सुदृढ़ीकरण	0.187	5.520	4.4160	0.0190	0.4840	3.9130	2003-04
				जनपद योग		**0.187**	**5.520**	**4.4160**	**0.0190**	**0.4840**	**3.9130**	
18	बलरामपुर	बलरामपुर	1	घमौली से ज्वालापुर का अवशेष भाग	सुदृढ़ीकरण	0.250	7.830	6.2640	0.0270	0.6870	5.5500	2006-07
				जनपद योग		**0.250**	**7.830**	**6.2640**	**0.0270**	**0.6870**	**5.5500**	
	महा योग					**15.062**	**342.504**	**274.0000**	**1.2000**	**30.0370**	**242.7630**	

(रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।